निर्णय व इजलास श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 10/2023
दायरा दिनांक :– 15.06.2023
निर्णय दिनांक :– 06/12/24

उनवान

1. रामकल्याण आयु 60 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल जाति बैरवा निवासी कुन्जबिहार कॉलोनी अटरु रोड़ बारां तहसील बारां जिला बारां राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. महावीर आयु 25 वर्ष पुत्र श्री रामकल्याण जाति बैरवा
2. अजय आयु 21 वर्ष पुत्र श्री रामकल्याण जाति बैरवा निवासी कुन्जबिहार कॉलोनी अटरु रोड़ बारां तहसील बारां जिला बारां राज0

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007

निर्णय दिनांक :– 06/12/2024

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बनेराज सिंह चौहान एड0– प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कुन्जबिहार कॉलोनी बारां पुलिस थाना कोतवाली बांरा जिला बारां राज0 का रहने वाला है तथा प्रार्थी द्वारा मेहनत मजदूरी करके एक मकान कुन्जबिहार कॉलोनी बारां में बनवाया था। जिसमें प्रार्थी अप्रार्थीगण के साथ निवास करता चला आ रहा था। जो भूभाग प्रार्थी ने जर्ये इकरार नामा खरीद कर मकान निर्माण करवाया है। प्रार्थी की आयु 60 वर्ष करीबन हो चुकी है। तथा अब प्रार्थी से मजदूरी कार्य भी नही हो पाता है तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थी के पुत्रगण है तथा अप्रार्थीगण अब प्रार्थी का भरण पोषण नही कर रहै है। इस कारण प्रार्थी दाने दाने को मोहताज हो रहा है तथा कहने पर अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ लडाई–झगडा करके प्रार्थी के साथ मारपीट करते है तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के मकान से निकाल दिया गया है। तथा प्रार्थी किराये का मकान लेकर निवास कर रहा है। कि दिनांक 10.05.2023 को जब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उक्त मकान में रहने के लिये एक कमरा देने व भरण पोषण की मांग की तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ गाली गलोच कर भगा दिया तथा धमकी दी कि अगर दुबारा मकान पर आया तो तुझे जान से खत्म कर देगे। इसलिये कानून में निहित प्रावधान के तहत प्रार्थी के मकान से प्रार्थी को रहने के लिये एक कमरा व उक्त अप्रार्थीगण से प्रार्थी को भरण पोषण हेतु 5000–5000/–रुपये कुल 20,000/–रुपये राशि दिलवायी जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा। क्योकि प्रार्थी के पास आय का कोई जरिया नही है। अप्रार्थीगण दोनो मजदूरी करके करीबन 20,000/–20,000/–रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करतें है। जो प्रार्थी को उक्त राशि देने में सक्षम है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के पुत्रगण होने से अप्रार्थीगण का नैतिक वाके पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व भी है। कि अप्रार्थीगण उक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
बारां

मकान वाके कुन्जबिहार कॉलोनी अटरु रोड बारां में से प्रार्थी को रहने के लिये कमरा व भरण पोषण हेतु राशि 10,000/–रुपये प्रार्थी को अदा करें। प्रार्थी कुन्जबिहार कॉलोनी बारां का मूल निवासी है तथा अप्रार्थीगण ही प्रार्थी के मकान वाके कुन्जबिहार कॉलोनी में निवास करते है। इसलिये न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से मकान वाके कुन्जबिहार कॉलोनी बारां में से रहने के लिये एक कमरा व भरण पोषण हेतु 5000–5000/–रुपये कुल 10,000/–रुपये अक्षरे दस हजार रुपये दिलवाने जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी गण को जर्ये सम्मन तलव किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्याया0 में उप0 नही होने के कारण उनके विरुद्व दिनांक 07.06.2024 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2023 एवं इकरार नामा बेचान एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 137, बारां पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है प्रार्थी द्वारा मेहनत मजदूरी करके एक मकान कुन्जबिहार कॉलोनी बारां में बनवाया था। जिसमें प्रार्थी अप्रार्थीगण के साथ निवास करता चला आ रहा था। जो भूभाग प्रार्थी ने जर्ये इकरार नामा खरीद कर मकान निर्माण करवाया है। अब प्रार्थी से मजदूरी कार्य भी नही हो पाता है तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थी के पुत्रगण है तथा अप्रार्थीगण अब प्रार्थी का भरण पोषण नही कर रहै है। इस कारण प्रार्थी दाने दाने को मोहताज हो रहा है तथा कहने पर अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ लडाई–झगडा करके प्रार्थी के साथ मारपीट करते है तथा प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के मकान से निकाल दिया गया है। तथा प्रार्थी किराये का मकान लेकर निवास कर रहा है। कि दिनांक 10.05.2023 को जब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उक्त मकान में रहने के लिये एक कमरा देने व भरण पोषण की मांग की तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ गाली गलोच कर भगा दिया। इसलिये कानून में निहित प्रावधान के तहत प्रार्थी के मकान से प्रार्थी को रहने के लिये एक कमरा व उक्त अप्रार्थीगण से प्रार्थी को भरण पोषण हेतु 5000–5000/–रुपये कुल 10,000/–रुपये राशि दिलवायी जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा। अप्रार्थीगण दोनो मजदूरी करके करीबन 20,000/–20,000/–रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करतें है। जो प्रार्थी को उक्त राशि देने में सक्षम है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के पुत्रगण होने से अप्रार्थीगण का नैतिक वाके पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व भी है। कि अप्रार्थीगण उक्त वर्णित मकान वाके कुन्जबिहार कॉलोनी अटरु रोड बारां में से प्रार्थी को रहने के लिये कमरा व भरण पोषण हेतु राशि 10,000/–रुपये प्रार्थी को अदा करें। प्रार्थी कुन्जबिहार कॉलोनी बारां का मूल निवासी है तथा अप्रार्थीगण ही प्रार्थी के मकान वाके कुन्जबिहार कॉलोनी में निवास करते है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से मकान वाके कुन्जबिहार कॉलोनी बारां में से रहने के लिये एक कमरा व भरण पोषण हेतु 5000–5000/–रुपये कुल 10,000/–रुपये अक्षरे दस हजार रुपये दिलवाने जाने का आदेश फरमाया जावें।

उपरोक्त विवेचनानुसार बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आते है कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 द्वारा भरण पोषण नही कर रहै है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

था मकान में भी नही रहने दे रहै है। अतः माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक का जो स्वयं अपना भरण–पोषण करने मे असमर्थ है, उनके समाधान हेतु वरिष्ठ नागरिक के भरण–पोषण के लिये मासिक भत्ता अप्रार्थी क्रम 1 व 2 से 1–1 हजार रू. प्रतिमाह दिलाया जाना उचित है, जिससे प्रार्थी अपना जीवन यापन सही प्रकार से कर सके। विवादित मकान में रहने के लिये एक कमरा दिये जाने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित होगा। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण से 1–1 हजार रू. प्रतिमाह प्रार्थी को भरण–पोषण हेतु दिलाया जाना एवं मकान में से एक कमरा दिलवाया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5–7 स्वीकर किया जाता है। थानाधिकारी कोतवाली बारां को निर्देशित किया जाता है, कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 से 1–1 हजार रू. प्रतिमाह एवं कुन्जबिहार कॉलोनी में स्थित मकान में से एक कमरा रहने हेतु प्रार्थी रामकल्याण पुत्र मथुरालाल जाति बैरवा निवासी कुन्जबिहार कॉलोनी अटरु रोड बारां को दिलाया जावे। अप्रार्थीगण प्रार्थी से किसी प्रकार की लडाई झगडा व गाली गलोच नही करने हेतु पाबन्द किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां